

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक – 15.05.2026

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे 01 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 01 वारण्टी नाम पता रामबेलास यादव पुत्र रामपड़ोही निवासी ग्राम मंझरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- हे0का0 बृजेश यादव ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 22 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6002 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल— पीआरवी 6002 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत काँटे चौराहा से कालर द्वारा दो मोटरसाइकिलों के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.रामललित पुत्र जगन्नाथ सा0 उदयपुर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- हे0 का0 गौतम कुमार, का0 बबलू कुमार, हे0का0 चा0 राजन प्रसाद ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 373 वाहनों से 4,84,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 15.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 373 वाहनों से 4,84,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

कालर का नाम देवनारायण उपाध्याय पुत्र स्व0 इन्द्रराज निवासी लुहुरादेवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर । मो0नं0 7800683345

दिनांक घटना 05.05.2026 , दिनांक सूचना 15.05.2026 समय 13.26 बजे